

## फर्द अहकाम

(नियम-26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री महेश चन्द्र शर्मा पिता श्री कन्हैयालाल शर्मा निवासी वैशाली कम्प्यूटर्स एस. डी. एम. ऑफिस के सामने, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़  
किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  
प्रकरण संख्या 06/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.2018	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री महेश चन्द्र शर्मा पिता कन्हैयालाल शर्मा निवासी डूंगला द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु दिनांक 26.09.2017 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। (साथ ही अपील आवेदन में दिनांक 16.11.2017 को भी इस कार्यालय में अपील प्रस्तुत करना बताया है किन्तु अपीलार्थी का अपील आवेदन दिनांक 16.11.2017 इस अनुभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।)</p> <p>अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से जिला परिषद चित्तौड़गढ़ से संबंधित सूचनायें चाही गईं। जिला परिषद चित्तौड़गढ़ के लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ़ तथा अपीलीय अधिकारी स्वयं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़ हैं।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं।</p> <p>चूंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।</p>	